(37)

पत्रांक - 1571/AU/2012

# कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक - 9/7/2012

ग्राम–मुत्तकीपुर पगरना व तहसील सदर जिला–लखनऊ का क्षेत्रफल 3.025 हेक्टेयर व ग्राम–मुबारकपुर परगना महोना, बक्शी का तालाब जिला लखनऊ का क्षेत्रफल 0.459 हेक्टेयर अर्थात् कुल क्षेत्रफल 3.484 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमियां जिनका पुर्नग्रहण अधिसूचना संख्या 844/एक–1–2011–5 (7)/2011 दिनांक 29.07.2011 राजस्व अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया था। जिलाधिकारी लखनऊ की ओर से ग्राम–मुत्तकीपुर में 3.025 हेक्टेयर तथा ग्राम–मुबाकरपुर में 0.449 हेक्टेयर अर्थात कुल क्षेत्रफल 3.478 हेक्टेयर का कब्जा दिनांक 21.05.2012 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा दिये गये कब्जे के अनुसार मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 को आज दिनांक 09.07.2012 को कब्जा दिया जाता है।

मनीश चन्द्रा
अधिकृत हस्ताक्षरी
एल्डिको सिटी प्रा0लि0,
द्वितीय तल एल्डिको कार्पोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

File

एल्डिको सिटी प्रा0लि0 से अधिकृत कब्जा
लेने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(उदय नारायण/सुनील कुमार रावत)
सर्वेयर/अमीन–अर्जन
ल0वि0प्रा0

(ओ0पी0मिश्र)
अधिशासी अभियन्ता
ल0वि0प्रा0

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से
कब्जा देने हेतु अधिकृत अधिकारी

प्रेषक,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक :– 1493/A.C.(...)/2012
दिनांक :– 12/4/2012

सेवा में,

अपर ज़िलाधिकारी (प्रशासन),
लखनऊ।

**विषयः–सीतापुर–हरदोई बाईपास रोड (आई0आई0एम0 रोड), लखनऊ पर विकसित की जा रही इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत आ रही ग्राम समाज की 3.484 हे0 भूमि के कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, विकासकर्ता मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 द्वारा पत्र सं0–एल0डी0/ए0/129/3513 दि0 01.03.2012 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत ग्राम समाज की पुर्नग्रहीत की गयी भूमि 3.484 हे0 स्थित ग्राम मुतक्कीपुर परगना व तहसील–लखनऊ व मुबारकपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ की भूमि का उ0प्र0 शासन द्वारा पुर्नग्रहण की अधिसूचना दिनांक 29.07.2011 (छायाप्रति संलग्न) को जारी की जा चुकी है। पुर्नग्रहीत भूमि की मालगुजारी का बाज़ारू मूल्य का भुगतान, संस्था द्वारा चालान संख्या–4050061 दिनांक 17.02.2012 को राजकीय कोष में जमा किया जा चुका है।

2. मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 द्वारा उक्त पत्र में अवगत कराया है कि ग्रामवासियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर कृषि कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत विकास कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3. यह भी अवगत कराना है कि विकासकर्ता मेसर्स एल्डिको सिटी प्रा0लि0 द्वारा उपरोक्त पत्र के माध्यम से पुर्नग्रहीत भूमि पर ल0वि0प्रा0 द्वारा स्थल पर कब्जा लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत पुर्नग्रहीत भूमि के अन्तर्गत ग्राम मुतक्कीपुर परगना व तहसील–लखनऊ व मुबारकपुर परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब, लखनऊ का स्थल पर कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के पक्ष में देने का कष्ट करें।

**संलग्नकः–यथोपरि**

भवदीय

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव

प्रतिलिपि–

1. अधिशासी अभियन्ता (हा0/ई0 सेल) को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार (अर्जन) को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सम्बन्धित रिकार्ड के साथ स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(आनन्द कुमार सिंह)
सचिव

Mrs. Pushpa ji

Ashis.lettr

1141

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– 844 /एक–1–2011–5(7)/2011
लखनऊ :: दिनांक :: 29 जुलाई, 2011

151 LA/10 TO
81

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके शासनादेश संख्या–प्र0स0 474/एक–1/2008–5–1(48)/2008–78, दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तों के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या–68/तीन 2(6)/1979–राजस्व–1, दिनांक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या–68/ 2(6)/1979–रा–1, दिनांक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा अनुसूची के स्तम्भ–5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गयी थी, का पुनर्ग्रहण करते लखनऊ विकास प्राधिकरण को इन्टीग्रेटेड टाउनशिप योजना विकसित किये जाने हेतु आवास शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हैं।

## अनुसूची

| क0सं0 | जिला | तहसील | परगना | गांव | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (हे0) | विवरण/ प्रयोज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | लखनऊ | लखनऊ | लखनऊ | मुत्तक्कीपुर | 186 | 0.116 | आवास एवं श नियोजन विभाग उपयोगार्थ। |
| | | | | | 312 | 0.087 | |
| | | | | | 359ख | 0.019 | |
| | | | | | 372ग | 0.011 | |
| | | | | | 374ख | 0.007 | |
| | | | | | 306 | 0.008 | |
| | | | | | 155 | 0.063 | |
| | | | | | 166 | 0.081 | |
| | | | | | 227 | 0.159 | |
| | | | | | 235 | 0.110 | |
| | | | | | 248 | 0.613 | |
| | | | | | 252 | 0.197 | |
| | | | | | 365 | 0.086 | |
| | | | | | 176 | 0.013 | |

क्रमशः–

सचिव
2-8-11
(आलोक कुमार)
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
2116/SH/11
VS(A2)
2421/VS/11
DS(SN)

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

अ0-3
02/8/11

श्री मनोज
03/8/11
11/8/11

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 193 | 0.004 |
| | | | | | 198 | 0.011 |
| | | | | | 206 | 0.013 |
| | | | | | 213 | 0.020 |
| | | | | | 220 | 0.017 |
| | | | | | 233 | 0.047 |
| | | | | | 253 | 0.035 |
| | | | | | 316 | 0.027 |
| | | | | | 318 | 0.027 |
| | | | | | 362 | 0.077 |
| | | | | | 366 | 0.012 |
| | | | | | 377 | 0.023 |
| | | | | | 165 | 0.057 |
| | | | | | 168 | 0.047 |
| | | | | | 169 | 0.007 |
| | | | | | 175 | 0.027 |
| | | | | | 185 | 0.023 |
| | | | | | 190 | 0.049 |
| | | | | | 209 | 0.022 |
| | | | | | 221 | 0.030 |
| | | | | | 224 | 0.013 |
| | | | | | 228 | 0.039 |
| | | | | | 232 | 0.008 |
| | | | | | 238 | 0.095 |
| | | | | | 246 | 0.087 |
| | | | | | 250 | 0.043 |
| | | | | | 311 | 0.056 |
| | | | | | 314 | 0.023 |
| | | | | | 358 | 0.025 |
| | | | | | 197 | 0.048 |
| | | | | | 210 | 0.110 |
| | | | | | 319 | 0.121 |
| | | | | | 356 | 0.086 |

क्रमशः

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 371 | 0.025 |
| | | | | | 202 | 0.101 |
| 2— | लखनऊ | बक्शी का तालाब | महोना | मुबारकपुर | 381 | 0.033 |
| | | | | | 394 | 0.025 |
| | | | | | 395 | 0.018 |
| | | | | | 408 | 0.013 |
| | | | | | 430 | 0.022 |
| | | | | | 441 | 0.011 |
| | | | | | 478 | 0.022 |
| | | | | | 401 | 0.028 |
| | | | | | 435 | 0.032 |
| | | | | | 442 | 0.006 |
| | | | | | 476 | 0.031 |
| | | | | | 411पी | 0.073 |
| | | | | | 444पी | 0.063 |
| | | | | | 482 | 0.025 |
| | | | | | 486 | 0.057 |
| | | | | — | कुल 64 गाटा | 3.484हे0 |

आज्ञा से,

(के0के0सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 844 (1)/एक–1–2011–5(7)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–372/पुर्न0/डी0एल0आर0सी0/10, दिनांक 07.10.2010 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचनापट्ट पर तहसील भवन तथा संबंधित ग्राम में किसी सहज दृश्य

क्रमशः——4

स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16 (1)-73-रा-1, दिनांक 9 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहित की गयी भूमि कुल रकबा 3.484 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आँकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा-1 दिनांक 14-9-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूँजीकृत मूल्य की धनराशि लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वांछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात ही भूमि का कब्जा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिया जाय। प्रश्नगत भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

3. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0 474/एक-1-2008-5-1(48)/2008-78, दिनांक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाएगा तथा निर्धारित प्रारूप पर यथानिर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध करायी जाए।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 855 (2)/एक-1-2011-5(7)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3 आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4- लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।